न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 542/2025 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
दीपा पुत्र जीवणा जाति वजीर, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. कचराराम पुत्र अर्जुनराम 2. कानसिंह पुत्र कचरसिंह 3. गेमराराम पुत्र लूणाराम 4. दानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 5. समंदकंवर पत्नी लूणाराम जाति वजीर, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. सरूपसिंह पुत्र मेहताबसिंह 7. पवनकंवर पत्नी दलपतसिंह 8. मोरूकंवर पत्नी डूंगरसिंह 9. रायमलसिंह पुत्र दलपतसिंह 10. सरूपसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर 11. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा शिव 12. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी – श्री बृजमोहन कुमावत।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला-बाड़मेर, सत्यमेव जयते)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 07.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा तालो का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1244/1002 रकबा 0.9712 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1002, 1003, 1004 रकबा क्रमशः 5.2690, 3.1970, 10.9508 हैक्टेयर में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे कटाण मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1002 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से रकबा 0.0443 व 0.0388 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1003 रकबा 3.1970 हैक्टेयर में से रकबा 0.0443 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 10 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1004 रकबा 10.9508 हैक्टेयर में से रकबा 0.0388 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। खसरा नम्बर 1004 में बांधा बना हुआ बताया गया है तथा खसरा नम्बर 1002 में कच्चा घर बना हुआ होने से खसरा नम्बर 1002 व 1003 में एकल रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 275 गट्ठा है।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1002 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से रकबा 0.0443 व 0.0388 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1003 रकबा 3.1970 हैक्टेयर में से रकबा 0.0443 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 10 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1004 रकबा 10.9508 हैक्टेयर में से रकबा 0.0388 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। खसरा नम्बर 1004 में बांधा बना हुआ बताया गया है तथा खसरा नम्बर 1002 में कच्चा घर बना हुआ होने से खसरा नम्बर 1002 व 1003 में एकल रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 275 गट्ठा है। विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर विप्रार्थीगण के खेत के बीच में रास्ता नहीं निकाल कर सेढे से रास्ता निकालने का कथन किया गया है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी अन्य विकल्प नहीं होना दर्शाया गया है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा तालो का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1244/1002 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1002 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से रकबा 0.0443 व 0.0388 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1003 रकबा 3.1970 हैक्टेयर में से रकबा 0.0443 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 10 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1004 रकबा 10.9508 हैक्टेयर में से रकबा 0.0388 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 07.05.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner